

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत मोहम्मद जमशेद पिता मोहम्मद सेराजुद्दीन और मोहम्मद खुर्शीद पिता मोहम्मद सेराजुद्दीन, निवासी ग्राम: कल्यांपुर, थाना: पिपरवार जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिजैन और कल्यांपुर, थाना सं: 83 और 85, खाता सं. 07 और 06 के अधीन प्लॉट सं. 24, 46, 65, 81, 83, 86, 88, 90 और 286, कुल रकबा - 4.00 एकड़ भूमिके अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त ग्राम: कल्यांपुर, थाना सं: 85, खाता सं. 07 और 06 के अधीन प्लॉट सं. 24, 46, 65, 81, 83, 86, 88, 90 और 286, कुल रकबा - 4.00 एकड़ के तहत मोहम्मद जमशेद पिता मोहम्मद सेराजुद्दीन और मोहम्मद खुर्शीद पिता मोहम्मद सेराजुद्दीन, ग्राम: कल्यांपुर, थाना: पिपरवार जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

राजिंद  
[5/12/17]

Yours faithfully  
[Signature]  
General Manager (C),  
COL